तार "भूमि बैंक"

Tel.: "BHUMIBANK"
दूरभाष : ई.पी.ए.बी.एक्स 2238840
Phones: 2238842,
2239805,3056381
फैक्स : 0522 2239806
E. Mail: ldb@up.nic.in

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
प्रधान कार्यालय, 10, माल एवेन्यू, लखनऊ।

परिपत्र संख्याःसी- 53 /तकनीकी प्रको0/24वाँ स्वै0नाबार्ड निरी0/2018-19, दिनांकः 05-10-18

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबंधक
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **24वाँ स्वै0नाबार्ड निरीक्षण में नाबार्ड द्वारा पायी गयी कमियों के निस्तारण के सम्बन्ध में।**

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लखनऊ द्वारा बैंक के 24वें स्वैच्छिक निरीक्षण में नाबार्ड के अधिकारियों द्वारा बैंक की शाखाओं की कार्य प्रणाली में पायी गयी कमियों/विसंगतियों के संबंध में निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

1. जनता दुर्घटना बीमा योजना में ऋणी कृषकों के आच्छादन के संबंध में किसानों की अभिरूचि नगण्य पायी गयी है। अतः शाखाओं द्वारा किसानो से रूचि नहीं रखने के संबंध में इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाए कि वह इस कार्यक्रम में रूचि नहीं रखता है।
2. ऋण आवेदन पत्रों के मूल्यांकन के दौरान ऋण प्रस्तावों की तकनीकी साध्यता एवं वित्तीय व्यवहार्यता का आंकलन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। प्रधान कार्यालय द्वारा जारी मॉडल ऋण प्रस्ताव मूल्यांकन पुस्तिका में मात्र संख्याएं बदलकर बिना किसी साक्ष्य/तथ्य के आधार पर तैयार किये जाने के विषय में नाबार्ड द्वारा आपत्ति की गयी हैं। आपको उपलब्ध कराये गये मॉडल या मैन्युवल मात्र मार्गदर्शन हेतु हैं, आपसे अपेक्षित है कि स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर ही निर्धारित मूल्यों/आंकड़ों को प्रयोग करें जिसके सम्बंध में प्रमाण स्वरूप स्थानीय बाजार/स्थान से प्राप्त कोटेशन, मूल्य सूची श्रम मूल्य आदि की प्रति भी पत्रावली में लगाई जाय।

   ऋणों की स्वीकृति हेतु शाखा प्रबंधकों के मार्गदर्शन के लिए पूर्व में बनाए गए नियम पुस्तिका (मैनुअल) को अद्यतन प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी-89/तक0प्रको0/निर्देशिका/17-18,दि0 05.02.18 द्वारा ऋण वितरण प्रक्रिया एवं अप्रेजल संबंधी निर्देशिका निर्गत कर बैंक की वेबसाईट पर अपलोड करा दी गयी है, जिसके अनुसार ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। किंतु स्थानीय बाजार में प्रचलित मूल्यों का ही प्रयोग किया जाय और साक्ष्य स्वरूप सूची आदि भी पत्रावली में लगाई जाय।
3. ईकाई लागत निर्धारण के संबंध में प्रधान कार्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र में ऋणों की वसूली मासिक/त्रैमासिक/छमाही/वार्षिक करने के निर्देश भी स्पष्ट रूप से प्रेषित किए गए हैं।

   अतः उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक(तकनीकी)

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त वरिष्ठ प्रबंधक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. सहायक महाप्रबंधक(निरीक्षण) प्रधान कार्यालय लखनऊ।
3. उप महाप्रबंधक(कम्प्यूटर),प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई-मेल द्वारा समस्त जनपदीय शाखओं को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
4. प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

05/10/18

महाप्रबन्धक(तकनीकी)